विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0022811

श्री गोरेलाल मालवीय,
पोल फैक्टरी के पास, — **आवेदक**
बडोरा चौक, बैतूल (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री,
संचा./संधा. संभाग (दक्षिण),
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, — **अनावेदक**
बैतूल (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 18.07.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र) के प्रकरण क्रमांक C0085011 गोरेलाल मालवीय विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 08.08.2011 से असंतुष्ठ होकर विद्युत उपभोक्ता/आवेदक ने यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है ।

2. उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया जावेगा, के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि बड़ोरा चौक बैतूल में उसका एक वर्कशॉप है, जिसमें गोरेलाल मालवीय के नाम से 8.0 हार्स पावर का औद्योगिक कनेक्शन (सर्विस क्रमांक 90–01–000987) था । उक्त परिसर में वैल्डिंग मशीन, लेथ मशीन, शेपर मशीन, ड्रिल आदि उपकरण उपस्थित थे । इसी परिसर में श्री गजानन मालवीय के नाम से 2.00 हार्स पावर को औद्योगिक कनेक्शन था, जिसका सर्विस क्रमांक 90–01–006213 था । उक्त परिसर में दिनांक 14.02.98 को मिलिंग कम स्लॉटर मशीन स्थापित की गई थी । दिनांक 17.6.2003 तक कनेक्शन क्रमांक 90–01–0987 के समस्त बिलों का भुगतान किया गया था । जून, 2001 में अनावेदक के अंकेक्षण दल ने सर्विस क्रमांक 0987 को कमर्शियल मानकर 16118/– रू. की रिकव्हरी निकाली गई थी तथा एक अतिरिक्त बिल दिया गया था । इस बिल के साथ कोई विवरण नहीं दिया गया था, अतः उसका भुगतान उपभोक्ता के द्वारा नहीं

किया गया था । दिनांक 17.6.2003 को इस कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेदित करवाने हेतु आवेदक ने आवेदन पत्र देकर उसे पी.डी.सी. करा लिया था । उक्त कनेक्शन से कल्टीवेटर, सीडड्रिल, मोटर पंप आदि की रिपेयरिंग एवं ग्रिल व गेट आदि के फेब्रीकेशन का काम किया जाना था । ऐसी स्थिति में उक्त विद्युत कनेक्शन इण्डस्ट्रियल श्रेणी में आता था अतः उसे कमर्शियल मानकर अतिरिक्त राशि की मांग किया जाना विधिसंगत नहीं है । अतः ऐसी राशि के संबंध में जारी किए गए देयक को माफ किया जाए ।

3. अनावेदक की ओर से प्रारंभिक आपत्ति के अतिरिक्त उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में यह आपत्ति की कि उपभोक्ता ने दिनांक 21.10.2009 को विवादित राशि को बिना किसी शर्त के जमा करने की सहमति दी थी तथा प्रथम किश्त के रूप में दिनांक 12.07.2010 को 2000 रू. जमा किए थे । ऐसी स्थिति में विवादित देयक के संबंध में इस स्तर पर उसके द्वारा आपत्ति किया जाना उचित नहीं माना जा सकता है । दिनांक 5.5.2001 को अनावेदक के सतर्कता दल ने आवेदक के परिसर में 2000 वॉट के हीटर का उपयोग किया जाना पाया गया था । परिसर में इस तरह के हीटर का उपयोग किया जाना परिसर में स्थापित संयंत्रों को औद्योगिक श्रेणी में नहीं माना जा सकता है । मार्च 1999 से प्रभावी टैरिफ के अनुसार गैर घरेलू उपयोग हेतु लागू टैरिफ दर ए–2 की टीप – 1 में किए गए उल्लेख के अनुसार आंशिक रूप से भी गैर घरेलू अथवा व्यावसायिक उपयोग करने की स्थिति में समस्त विद्युत खपत पर दर ए–2 लागू होती थी । आवेदक के परिसर में हीटर का उपयोग किया जाना पाया गया था, इस कारण उक्त कनेक्शन की संपूर्ण खपत को कमर्शियल टैरिफ से संगणित किया गया था । अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री सतर्कता ने दिनांक 05.02.2002 को निरीक्षण के दौरान विद्युत संयोजन क्रमांक 987 में पी.डी.सी. कराए जा चुके औद्योगिक कनेक्शन क्रमांक 6223 की बिलिंग मशीन का भार भी शामिल पाया गया था ।

4. माननीय फोरम ने मुख्य अभियंता (वाणिज्य) म.प्र. विद्युत मण्डल, जबलपुर के सरकूलर क्रमांक 05–01/GA/185/Vol.III/6/2132 जबलपुर, दिनांक 04.05.2000 के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है कि रिपेयरिंग का कार्य औद्योगिक श्रेणी में नहीं माना जा सकता है, ऐसी स्थिति में आवेदक के परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शन गैर औद्योगिक (कमर्शियल) श्रेणी में आता है । अतः अंकेक्षण दल द्वारा जो आपत्ति की गई थी वह उचित थी । ऐसी आपत्ति के आधार पर जो देयक जारी किया गया है वह उचित है । अंकेक्षण दल द्वारा निकाली गई राशि की गणना के बारे में कोई विवाद नहीं है, अतः फोरम द्वारा इस बिन्दु पर विचार नहीं किया गया है ।

5. आवेदक उपभोक्ता ने फोरम के आदेश के विरूद्ध जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है उसमें यह निवेदन किया है कि आवेदक ने 1985 में कारावृत्ति का विद्युत कनेक्शन लिया था जिसकी टैरिफ श्रेणी कमर्शियल थी । वर्ष 1986 में उसका भार 8 एच.पी. कराया गया था, किन्तु वर्ष 99 में उसे सूचना दिए बिना उक्त कनेक्शन को 10 एच.पी. की टैरिफ श्रेणी नं. 14, 11, 08 में परिवर्तित कर दिया गया । दिनांक 12.06.2002 को अनावेदक की सतर्कता शाखा द्वारा स्थल निरीक्षण किए जाने पर किसी तरह की अनियमितता का होना नहीं पाया जाता था । दिनांक 8.6.2001 को उससे यह कहा गया कि दिनांक 5.2.2000 को आडिट पार्टी द्वारा की गई जांच में कनेक्शन की बिलिंग जुलाई 99 से जनवरी 2001 तक व्यावसायिक दर से निकाली गई है तथा जून 99 से जुलाई 99 एवं फरवरी 2000 से जून 2000 तक मीटर डिफेक्टिव के कारण बिलिंग के अन्तर की राशि 2719 निकाली गई है । इस प्रकार कुल राशि 18837 रू. बताया गया, जबकि उक्त स्थल निरीक्षण कब किया गया इस बात की जानकारी आवेदक को नहीं दी गई है । आवेदक द्वारा 1985 में लिए गए कमर्शियल कनेक्शन को उसे सूचना दिए बिना औद्योगिक श्रेणी में परिवर्तित कर दिया था । जून 2003 तक जितने भी विद्युत देयक थे वे औद्योगिक श्रेणी के थे । अनावेदक गण द्वारा मनमाने ढंग से देयक जारी करने पर आवेदक ने 2719 रू. नगद जमा कर दिए गए थे, 2003 में अपना कनेक्शन विच्छेदित करा लिया था । जिस स्थल निरीक्षण के आधार पर उसके परिसर में 2000 वाट का हीटर लगा होना कहा जाता है वह गलत है, क्योंकि उसके परिसर में हीटर का कोई उपयोग नहीं होता । उद्योग केन्द्र के प्रमाण के अनुसार उसके परिसर में जो कार्य होता है उसमें हीटर का उपयोग नहीं होता है । अनावेदकगण द्वारा उसे अनावश्यक परेशान किया जाता है । उसने देयक राशि में से 11779 रू. जमा कर दिए गए हैं, अतः आडिट रिपोर्ट के आधार पर उसके विरूद्ध जो रिकव्हरी निकाली गई है उसे शून्य घोषित किया जाए । उसके द्वारा जो राशि जमा की गई है उसे वापस दिलाया जाए तथा अनावेदकगण को यह निर्देशित किया जाए कि आवेदक को नया कनेक्शन किस टैरिफ श्रेणी में दिया जाए इसके अतिरिक्त वर्ष 2011 तक उसे जो मानसिक एवं व्यायसायिक त्रासदी झेलनी पड़ी है, उसके संबंध में उसे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए ।

6. अनावेदकगण ने उपभोक्ता के अभ्यावेदन का विरोध इस आधार पर किया है कि दिनांक 5.5.2000 को कार्यपालन यंत्री सतर्कता द्वारा की गई जांच में विश्वकर्मा वर्कशाप में 9 एच.पी. धन 2 किलोवाट एवं 540 वाट प्रकाशित पाया गया । संयोजित भार 6 एच.पी. की वेल्डिंग मशीन, 1 एच.पी. मिलिंग मशीन, 2 एच.पी. लेथ मशीन, 2 किलोवाट हीटर व 540 वाट प्रकाशन पाया गया था । 2 किलो वाट का हीटर अनावेदकगण की अनुमति के बिना संयोजित किया गया था । मीटर का भार औद्योगिक श्रेणी में नहीं आता मिलिंग मशीन भी औद्योगिक श्रेणी में नहीं आती । दिनांक 24.7.99 को आवेदक के कमर्शियल संयोजन

क्र. 6213 को स्थाई रूप से विच्छेदित किए जाने पर माह जनवरी 2001 से टैरिफ मिनिमम बिलिंग के अन्तर की राशि वसूली होनी पाई गई । वास्तव में अपीलार्थी में व्यावसायिक श्रेणी के मंहगी बिजली कनेक्शन को कटाकर 2 एच.पी. की मिलिंग मशीन तथा 2 कि.वा. के हीटर को औद्योगिक बिजली के कनेक्शन सर्विस क्र. 90–01–0987 से जोड़कर अनावेदक को आर्थिक क्षति पहुंचाई थी उसके इस कृत्य को कार्यपालन यंत्री सतर्कता ने पकड़ा था तथा उसी के आधार पर रिकव्हरी निकाली गई थी । फोरम ने सही निष्कर्ष दिया है, ऐसी स्थिति में आवेदक का अभ्यावेदन निरस्त किए जाने योग्य है ।

7. उभयपक्षों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए । आवेदक की ओर से लिखित तर्क भी प्रस्तुत किए गए हैं और लिखित तर्क में उसने यह निवेदन किया है कि अंकेक्षण दल द्वारा जो राशि निकाली गई है वह इण्डस्ट्रियल से कमर्शियल की राशि है, परन्तु आडिट के बाद तथा कनेक्शन विच्छेदित किए जाने के बाद भी उसे जो बिल भेजे गए इण्डस्ट्रियल के थे, अतः उसे सूचित किया जाए कि उसका कनेक्शन किस श्रेणी में आता है तथा जो राशि निकाली गई है वह भार वृद्धि की है या इण्डस्ट्रियल से कमर्शियल की है ।

8. उपभोक्ता की शिकायत, शिकायत के संबंध में अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के द्वारा दिया गया जवाब, फोरम के आदेश, ऐसे आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन तथा उस अभ्यावेदन के जवाब तथा उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने पर यह पाया जाता है कि मूल विवाद के संबंध में फोरम द्वारा तर्कसंगत निर्णय नहीं दिया है तथा उपभोक्ता ने वास्तविक विवाद से हटकर अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है तथा तर्क प्रस्तुत किया है ।

9. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि विद्युत के उपभोक्ता/आवेदक को विद्युत मण्डल द्वारा औद्योगिक कनेक्शन दिया गया था तथा अंकेक्षण दल की आपत्ति के आधार पर उसके द्वारा उपयोग किए गए विद्युत प्रभार के देयक की संगणना व्यावसायिक आधार पर की गई थी तथा ऐसी संगणना के आधार पर उपभोक्ता को देयक जारी किया गया था । उपभोक्ता की आपत्ति यह है कि उसे औद्योगिक कनेक्शन दिया गया था, इसी आधार पर विद्युत ऊर्जा की खपत का मूल्य उससे लिया जाना चाहिए, जबकि अनावेदकगण की आपत्ति यह है कि उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण करने पर उसमें हीटर का उपयोग किया जाना पाया गया था । ऐसे हीटर का उपयोग किया जाना गैर औद्योगिक उपयोग की परिधि में आता है, अतः उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए गए विद्युत ऊर्जा की कुल मात्रा के संबंध में विद्युत ऊर्जा के मूल्य की गणना की गई है और उपभोक्ता द्वारा पूर्व में जमा किए गए मूल्य के अन्तर की राशि के अतिरिक्त देयक उसे दिया गया है ।

10. पक्षकारों के मध्य उपस्थित उक्त विवाद के परिपेक्ष्य में मुख्य रूप से प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या औद्योगिक परिसर में विद्युत हीटर का उपयोग किए जाने पर ऐसा उपयोग गैर औद्योगिक उपयोग की परिधि में आता है और यदि हां तो क्या ऐसा उपयोग किया जाना पाए जाने पर औद्योगिक कनेक्शन में उपयोग किए गए समस्त विद्युत ऊर्जा का मूल्य गैर औद्योगिक मूल्य के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है ।

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :–

11. फोरम के समक्ष अनावेदक की ओर से उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में जो आपत्ति की गई थी उस आपत्ति के अनुसार दिनांक 05.02.2000 को सतर्कता दल द्वारा आवेदक के परिसर का निरीक्षण करने पर उक्त परिसर में 2000 वाट के हीटर का उपयोग किया जाना पाया गया था, अतः उपभोक्ता के परिसर में जो विद्युत का संयोजन किया गया था उसे औद्योगिक श्रेणी में नहीं माना जा सकता है । अनावेदक की ओर से प्रस्तुत उक्त आपत्ति का आधार क्या है, इसका उल्लेख अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में नहीं किया गया है तथा ऐसा कोई विधिक प्रावधान या दृष्टांत प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जा सके कि किसी औद्योगिक परिसर में यदि हीटर का उपयोग किया जाता है तो ऐसा उपयोग औद्योगिक श्रेणी में नहीं आयेगा ।

12. हीटर शब्द से सामान्य अर्थों में यह आशय निकलता है कि हीटर एक ऐसा उपकरण है, जिसमें विद्युत ऊर्जा के उपयोग से गरमी पैदा होती है अर्थात् हीटर एक अंगीठी का कार्य करती है और ऐसे हीटर का उपयोग औद्योगिक कार्य के लिए भी किया जा सकता है । अतः हीटर का उपयोग किया जाना औद्योगिक श्रेणी में नहीं आता, इस तथ्य को तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है ।

13. फोरम ने अपने आदेश में प्रमुख अभियंता (वाणिज्य) के सरकुलर दिनांक 04.05.2000 के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है कि रिपेयरिंग का कार्य औद्योगिक श्रेणी में नहीं माना जा सकता है । उपभोक्ता के परिसर में रिपेयरिंग का कार्य हो रहा था, अतः उसका कनेक्शन औद्योगिक श्रेणी में नहीं आता है । यहां सर्वप्रथम कहना उचित होगा कि फोरम के समक्ष ऐसी आपत्ति अनावेदक की ओर से नहीं की गई थी कि उपभोक्ता के परिसर में रिपेयरिंग का कार्य होता है, इसलिए उसके परिसर में स्थापित विद्युत संयंत्र को उद्योग की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है । अतः फोरम द्वारा दिया गया यह निष्कर्ष मनमाने तरीके से बिना किसी आधार के दिए जाना पाया जाता है और ऐसे निष्कर्ष को मान्य नहीं किया जा सकता है ।

14. उपभोक्ता तथा विद्युत वितरण कम्पनी जो कि पूर्व में मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल था, के बीच उपभोक्ता तथा विद्युत प्रदाता के संबंध थे । तत्समय भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए

नियम या विद्युत प्रदाय संहिता प्रभावशील नहीं थी, परन्तु भारतीय विद्युत अधिनियम 1910, विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948, मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2001, मध्यप्रदेश ऊर्जा अधिनियम 2001 के प्रावधान प्रभावशील थे । अनावेदकगण की ओर से उक्त अधिनियमों तथा अन्य किसी अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में यह आपत्ति नहीं की गई है कि यदि किसी उपभोक्ता द्वारा औद्योगिक कनेक्शन लिया गया है और ऐसे कनेक्शन में विद्युत हीटर का उपयोग किया जाता है तो ऐसा उपयोग किया जाना गैर औद्योगिक श्रेणी में आयेगा ।

15. अतः उपभोक्ता फोरम द्वारा दिया गया यह निष्कर्ष कि ''आवेदक उपभोक्ता के द्वारा अपने परिसर में गैर औद्योगिक अर्थात् व्यावसायिक विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता रहा था, उचित तथा विधिसंगत प्रतीत नहीं होता है । अतः आवेदक उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में फोरम द्वारा दिए गए आदेश को अपास्त किया जाता है तथा उपभोक्ता के अभ्यावेदन को स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ''उपभोक्ता को व्यावसायिक उपभोक्ता मानकर जो देयक जारी किए गए हैं उन देयकों में वर्णित पूर्ण राशि को वसूल पाने का अधिकार अनावेदकगण को नहीं हैं । उपभोक्ता को औद्योगिक उपभोक्ता माना जाए तथा औद्योगिक उपभोक्ता के रूप में उसे संशोधित देयक (बिल) जारी किए जावें । संशोधित बिल तथा व्यावसायिक उपभोक्ता के रूप में जारी बिलों की अन्तर राशि को वापस प्राप्त करने का अधिकार उपभोक्ता को होगा, अतः उक्त राशि 3 माह के अन्दर उपभोक्ता को वापस की जाए अथवा उसका समायोजन आगे आने वाले देयकों में किया जावे ।''

16. उक्त निष्कर्ष के अतिरिक्त उपभोक्ता द्वारा लिखित तर्क में और मौखिक रूप से कई प्रश्न उपस्थित किए गए हैं । ऐसे तथ्यों का संबंध उपभोक्ता की मूल शिकायत से नहीं है, अतः आवश्यक न होने से उनका विवेचन नहीं किया जाता और ऐसे तथ्यों के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जाता है ।

17. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल